डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
74/2010 नये 67/2017	10/06/2010	23.09.2025

1. भंवर पुत्र स्व कंचन उर्फ चन्दा उम्र 50 वर्ष
2. कैलाश पुत्र स्व कंचन उर्फ चन्दा उम्र 45 वर्ष
3. रामकरण पुत्र स्व मुल्या उम्र 60 वर्ष
4. कालू उर्फ सूर्यनारायण पुत्र स्व मूल्या उम्र 45 वर्ष
5. जीताराम पुत्र स्व0 मूल्या उम्र 52 वर्ष
6. बन्ना पुत्र स्व0 मूल्या उम्र 49 वर्ष
7. लल्लू पुत्र स्व0 मूल्या उम्र 45 वर्ष
8. कैलाश पुत्र स्व0 रामचन्द्र उम्र 40 वर्ष
9. रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामचन्द्र उम्र 35 वर्ष
10. अडीसाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र उम्र 33 वर्ष

समस्त जातियान् मीणा निवासीयान् ग्राम आंधी हाल निवासी ग्राम डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र स्व0 गोकुल
2. रामजीलाल पुत्र स्व0 गोकुल
3. जगदीश पुत्र स्व0 उमराव
4. सम्पत पुत्र स्व0 उमराव
5. छूट्टन पुत्र स्व0 उमराव

   समस्त जातियान् मीणा निवासीयान् ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकः–

वादीगण :–रामकरण शर्मा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट
निर्णय डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेश मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 929 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 944 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से का एवं वादी संख्या 3 लगायत 10 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में उक्तानुसार निर्णय पारित कर डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। भूमिधारी तहसीलदार आंधी को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़ जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
74/2010 नये 67/2017	10/06/2010	23.09.2025

1. भंवर पुत्र स्व कंचन उर्फ चन्दा उम्र 50 वर्ष
2. कैलाश पुत्र स्व कंचन उर्फ चन्दा उम्र 45 वर्ष
3. रामकरण पुत्र स्व मुल्या उम्र 60 वर्ष
4. कालू उर्फ सूर्यनारायण पुत्र स्व मूल्या उम्र 45 वर्ष
5. जीताराम पुत्र स्व0 मूल्या उम्र 52 वर्ष
6. बन्ना पुत्र स्व0 मूल्या उम्र 49 वर्ष
7. लल्लू पुत्र स्व0 मूल्या उम्र 45 वर्ष
8. कैलाश पुत्र स्व0 रामचन्द्र उम्र 40 वर्ष
9. रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामचन्द्र उम्र 35 वर्ष
10. अडीसाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र उम्र 33 वर्ष

समस्त जातियान् मीणा निवासीयान् ग्राम आंधी हाल निवासी ग्राम डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र स्व0 गोकुल
2. रामजीलाल पुत्र स्व0 गोकुल
3. जगदीश पुत्र स्व0 उमराव
4. सम्पत पुत्र स्व0 उमराव
5. छूट्टन पुत्र स्व0 उमराव

   समस्त जातियान् मीणा निवासीयान् ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकः—

वादीगण :—रामकरण शर्मा

<u>दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट</u>

Scanned with OKEN Scanner

—: निर्णयः—

वादी की ओर से एडवोकेट रामकरण शर्मा द्वारा धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पेश किया गया कि वादीगण के हक अधिकारों की संयुक्त खातेदारी आराजियात हाल ख.नं.921 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 944 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमियां वाकै ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित हैं जो वादीगण व प्रतिवादीगण की हक अधिकारों की संयुक्त खातेदारी आराजियात हैं जो वादीगण के हंकपूर्वाधिकारी ठण्डू पुत्र काना के खाते की आराजियात हैं जिसको प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी गोकुल ने अकेले अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली जबकि वादीगण भी बरूहें खातेदार हैं तथा अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज उण्डू पुत्र काना मीणा थे, जिसके तीन पुत्र सन्तान गोकुल, मूल्या व कत्वन उर्फ चन्दा हुये थे जिनमें वादीगण कंचन उर्फ चन्दा व मूल्या वारिस हैं व प्रतिवादीगण गोकुल के वारिस हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में ठण्डू के तीनों पुत्रों का एक समान हक अधिकार हैं जबकि गोकुल ने राजस्व कर्मचारियों से साझ कर ठण्डू के खाते की राजियात को अकेले अपने नाम लगा लिया जो वादीगण के अधिकारों के प्रभाव में प्रभाव शून्य हैं तथा वादीगण अपने पैतृक खातेदारी आराजियात में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनन् अधिकारी हैं । वर्णित आराजियात ख.नं. 921 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं.344 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमियां जिनके गत ख.नं. 2820 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं.2827 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख.नं.2826 रकबा 10 बिस्वा भूमियों से मिलकर हैं। उक्त खसरा नम्बर की आराजियात सम्वत् 2008 से 2027 की खतोनी बन्दोबस्त में ठण्डू पुत्र काना के खाते में दर्ज आराजियात रही हैं जिसके हाल खसरा नम्बर 921 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ख.नं.944 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा है जिसको गैरविधिक प्रकिया द्वारा गोकुल पुत्र तण्डू ने अपने भाईयो मूल्या व कंचन उर्फ चन्दा व उनके वारीसों के नाम उक्त आराजियात को दर्ज न करवाकर अकेलें अपने नाम बिना अधिकार के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जो वादीगण के अधिकारों के प्रभाव में कलेटम बेअसर हैं दूरूस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त पैतृक आराजियात में ठण्डू पुत्र काना के सभी वारीसों का एक समान कानूनन् खातेदारी अधिकार निडीत हैं। ठण्डू पुत्र काना के नाम उक्त वादग्रस्त आराजियात के अलावा ग्राम डांगरवाडा में ख.नं. 1141 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा हैं जिसमें ठण्डू के तीनो पुत्र मूल्य, गोकुल व त्तन्दा के नाम बरावर दर्ज खातेदारी हैं इसी अनुसार ग्राम जगसर में भी ठण्डू के तीनों पुत्रों के एक समान खातेदारी दर्ज रही हैं मात्र ग्राम आंधी में स्थित वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का नाम दर्ज नहीं रहा जबकि वादग्रस्त आराजियात वादीगण की पैतृक आराजिपात हैं जो वादीगगण के हकपूर्वाधिकारी ठण्डू पुत्र काना की आराजियात रही हैं जिसमें वादीगण का भी प्रतिवादीगण के समान हिस्सा निहीत हैं। ग्राम डांगरवाडा व जगसर में स्थित ठण्डू पुत्र काना की आराजियात में प्रतिवादीगण का व उनके हकपूर्वाधिकारियों का नाम दर्ज चला आ रहा हैं तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम आधी, जगसर व डांगरवाडा में स्थित पैतृक

Scanned with OKEN Scanner

भूमियों में अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चलें आ रहें हैं। वादीगण ग्राम आंधी से हाल में चाम डांगरवाडा में निवास करते हैं जब ग्राम डांगरवाडा व जगसर में प्रतिवादीगण का ठण्डू की खातेदारी में हिस्सा दर्ज हैं जिससे भी साफ जाहिर हैं कि वादीगण मद सं.2 में वर्णित सजरे अनुसार ठण्डू पुत्र काना के वारिसान् हैं तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण की भांति वादीगण का भी पृथक-पृथक 1/3-1/3 हिस्सा बरूहें हैं जिसको वजरिये अदालत अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी सं.1 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व वादी सं.1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व वादी सं.3 से 10 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा हैं अर्थात् वादीगण मूल्या द कंचन उर्फ चन्दा के वारिस होने से वादग्रस्त आराजियात में पृथक पृथक 1/3-1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी अधिकार निहीत हैं, जिसको वादीगण अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण के पिता द्वारा गलत रूप से करवाये गये खातेदारी राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के भी वादीगण अधिकारी है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात ख.नं. 9.29 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, ख.नं. 944 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा में मद सं.4 में अपने हिस्से पर काविज हैं तथा काबिज काश्त चलें आ रहे हैं जिसका दाई मिट्स व वाउण्डस अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर बंटवारा करवाने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी वादीगण को सन् 2004 में हुई तर वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात को वादीगण के हिस्स अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करवाने की बात कहीं तो उन्होंने यह कहां कि आप जव भी कहोगे हम आपके हक में बयान देकर खगतेदारी दर्ज करवा देंगे। काबिज आप हों हीं इस बात से सन्तुष्ट होकर वादीगण चुप रहें किन्तु अब जमीनों की किमतें बढ़ जाने से प्रतिवादीगण गुपचुप प्रकिया से वादीगण को उनक अधिकारों से मेहरूम करने में लग गये। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने पैतृक हिस्से की आराजियात को नाम लगवाने की बात कहीं तो उन्होनें दिनांक 15-04-2010 को वादीगण के नाम भूमि लगवाने से स्पष्ट नना कर दिये तथा यह भी ऐलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त आराजियात बावत कोई समझौता नहीं करेंगे, ना हीं भूमि को आप लोगों के नाम लगवायेंगे बल्कि इसका बेचान कर सभी को बेदखल करके रहेंग। उक्त धमकी से वादीगण के लिये उक्त वाद अपने खातेदारी अधिकारों के लिये पेश करना आवश्यक हुआ तथा वादीगण के लिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना भी आवश्यक हुआ कि वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादीगण किसी को रहन, विकय, बख्शीश नहीं करें तथा यादीगण को यादीगण के कब्जे से बेदखल नहीं करें, किसी प्रकार का कच्चा-पक्का पुस्ता निर्माण तामीरात् नहीं करें, ना हों उक्त कार्य प्रतिवारीगण अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवायें, ना हीं उक्त कार्य प्रतिवादीगण स्वयं करें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

यह कि दादरसी निम्न प्रकार है:-

(क.) यह दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वाकै ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित आराजी ख.नं.929 एकबा 3 बीजा 10 बिस्वा, ख.नं.944 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि में प्रतिनादीगण के गलत इन्द्राज को दूरुस्त फरमाया जाकर वादी सं.1 व 2 को पृथक 1/3 हिस्से के व वादी सं. 3 ता 10 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के बरूहें खातेदार होने से खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम इन्द्राज दर्ज के आदेश दिये जाकर प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज भूमि को हजफ कर प्रतिवादीगण के नाम भी संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावें।

(ख) यह कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा घोषणा डिकी किया जाकर हिस्से अनुसार बाई मिट्स व बाउण्डस के आधार पर विधिक बंटवारा किया जावें।

(ग) यह कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त आराजीयात में से वादीगण को वादीगण के पृथक-पृथक 1/3 हिस्से से बेकाबिज नहीं करें, कब्जे काश्त हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत बाधा दखल पैदा नहीं करें, ना हीं किसी को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बख्शीश किसी के हित में करें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना हीं अपने ऐजेन्ट-सर्वेन्ट इत्यादि से करवावें।

प्रकरण को दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के बाद प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 24.01.2020 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। तथा वादी श्री भवंर पुत्र स्व0 कंचन उर्फ चन्दा की ओर से साक्ष्य शपथ–पत्र पीडब्लू–1 पेश किया तथा साक्ष्य शपथ–पत्र में अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम आधी, जगसर व डांगरवाडा में स्थित पैतृक भूमियों में अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चलें आ रहें हैं। वादीगण ग्राम आंधी से हाल में चाम डांगरवाडा में निवास करते हैं जब ग्राम डांगरवाडा व जगसर में प्रतिवादीगण का ठण्डू की खातेदारी में हिस्सा दर्ज हैं जिससे भी साफ जाहिर हैं कि वादीगण ठण्डू पुत्र काना के वारिसान् हैं तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण की भांति वादीगण का भी पृथक-पृथक 1/3-1/3 हिस्सा बरूहें हैं जिसको बजरिये अदालत अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी सं.1 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व वादी सं.1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व वादी सं.3 से 10 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा हैं अर्थात् वादीगण मूत्या व कंचन उर्फ चन्दा के वारिस होने से वादग्रस्त आराजियात में पृथक पृथक 1/3-1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी अधिकार निहीत हैं, जिसको

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण के पिता द्वारा गलत रूप से करवाये गये खातेदारी राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के भी वादीगण अधिकारी है।

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजात मय रिकार्ड साक्ष्य का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 929 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 944 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से का एवं वादी संख्या 3 लगायत 10 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में उक्तानुसार निर्णय पारित कर डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। भूमिधारी तहसीलदार आंधी को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय मे
सुनाया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़